

न्यायालय सक्षम प्राधिकारी (नगर भूमि सीमा) दुर्ग

अनापत्ति प्रमाण - पत्र अन्तर्गत धारा २६ (२)

नगर भूमि सीमा एवं विनियमन अधिनियम १९७६

प्रति,

श्री. अशोक प्रसाद मिश्रा सहायक नगर प्रमुख
निवासी मिश्रा

संदर्भ :- नोटिस दिनांक २२/११/८०

प्रकरण क्रमांक १८९९/१०/१० सन् ८०-८१

पारित आदेश दिनांक १२/११/८०

आपके द्वारा ग्राम मिश्रा (विभागाध्यक्ष) ह. नं. १५ में स्थित भूमि खसरा नम्बर

६०९५ (प्रदों में) अशोक प्रसाद मिश्रा को १६ वर्ग फूट/कम-मीटर

उद्देश्य के लिए खेता श्री/श्रीमती अशोक प्रसाद मिश्रा को प्राप्त

पुत्र/जीने/अशोक प्रसाद मिश्रा निवासी मिश्रा अशोक प्रसाद मिश्रा

को विक्रय के जरिए हस्तान्तरण करने का प्रस्ताव किया है। खेता द्वारा भी एनेक्सर II में विवरण प्रस्तुत किया गया है।

२) आपको सूचना दी जाती है कि इस भूमि की मध्यप्रदेश शासन को आवश्यकता नहीं है।

३) किन्तु आपके द्वारा किये जाने वाला हस्तान्तरण यदि म. प्र. विनियमित प्रष्ट आचरण निवारण अधिनियम १९८२ की धारा २४ के प्रावधानों के विपरीत होगा, तो इसी अधिनियम की धारा २५, २६ एवं २८ के अन्तर्गत अपराधों के लिए धारा २७, २९ के अन्तर्गत नियत दण्ड के लिए एवं धारा ३१ और ३२ में निर्धारित वैधानिक कार्यवाही के लिए आप स्वतः उत्तरदायी होंगे।

K. Prigwar

Incharge Principal
Government School
(C.G.)
22320042

सक्षम प्राधिकारी

नगर भूमि सीमा, दुर्ग

दुर्ग, दिनांक १२/११/८०

पृ. क्र. वयू. /प्र. /न. भू. सी. /८०

प्रतिनिधि :- अनुविभागीय अधिकारी (डा. अहमद अफ़्जल) दुर्ग को सूचना एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

२) मुख्य कार्यपालन अधिकारी साहा-मिश्रा/वायव्य नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सूचना एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

३) सहायक संचालक नगर एवं ग्रामीण विभाग दुर्ग को सूचना एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

४) उपसंगोष्ठीक दुर्ग। विवेका के द्वारा म. प्र. की सीमा रेखा में ए. प्र. में अधिक प्लॉट बनाना और विक्रय करने के लिए धारा २४ (क) म. प्र. विनियमित प्रष्ट आचरण निवारण अधिनियम १९८२ में दिए गए कानूनी प्रावधानों के अन्तर्गत न्यायालय पर नगर पालिक निगम को सूचना दिनांक १२/११/८० के भीतर सूचना दे।